असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गिरिडीह।

साक्षात्कार की तिथि – 20.09.2023

विज्ञापन संख्या– 03

चलन्त ग्राम क्लीनिक के अन्तर्गत संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, रॉची के पत्रांक 33(9)यो0 दिनांक 25.05.2023 के अन्तर्गत चलन्त ग्राम क्लीनिक हेतु गिरिडीह जिला के लिए आयुष चिकित्सक एवं चिकित्सा सहायक संविदा आधारित नियुक्ति हेतु Walk in Interview के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों का आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

पदों की संख्या निम्नवत् है –

Recruitment for Chalant Gram Clinic

Post Code	Name of Post	Vacant Post	Reservation Category wise					Essential Qualification	Salary
			UR	BC-1	BC-2	SC	ST		
1	Ayush Medical Officer	2	1	1	0	0	0	Bachelor in Ayurved/ Homeopath/ Unani with Working knowledge of Computer	21000
2	Medical Assistant	2	1	1	0	0	0	B.Sc Nursing/GNM or B.Sc Community Health or Bachelor/Diploma in Pharmacy form Recognize university/ Institution	15000

1. <u>उपरोक्त पद की मुख्य जिम्मेदारियाँ –</u>

- गिरिडीह जिला के आदिम जनजाति समुदाय के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में चलन्त क्लीनिक के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- प्रत्येक चिन्हित आदिम जनजाति बाहूल ग्राम में अवस्थित सरकारी भवन यथा–आंगनवाडी केन्द्र / सामुदायक भवन / विद्यालय भवन में चलन्त ग्राम क्लीनिक का संचालन किया जाएगा।
- चलन्त ग्राम क्लीनिक का संचालन पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक भ्रमण रोस्टर के अनुसार संचालित किया जाएगा।
- चलन्त ग्राम क्लीनिक में कम से कम 08 (आठ) घंटे चिकित्सक के द्वारा सेवाएँ प्रदान की जाएगी।
- इस क्लीनिक में सामान्य ओ0पी0डी0 सेवाएँ उपलब्ध करायी जाएगी। चिकित्सक एवं चिकित्सा सहायक के आगमन हेतु परिवहन इत्यादि के लिए प्रति चिकित्सा दल प्रति माह 5000/–(पॉच हजार) रूपये की दर से किया जाएगा। इसके अलावे और किसी तरह का अन्य राशि भुगतान नही किया जाएगा।

- Motorbike का Registration एवं Driving Licence प्रस्तुत करना होगा।
- गिरिडीह जिला में दो चलन्त ग्राम क्लीनिक स्वीकृत है जिसके संचालन हेतु दो चिकित्सा दल स्वीकृत है जिसमें प्रत्येक दल में एक आयुष चिकित्सा पदाधिकारी एवं एक चिकित्सा सहायक होंगे।

2. चयन हेतु अधिकतम उम्र सीमा – आयु की गणना हेतु तिथि 01 मई 2021 कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के ज्ञापांक 7ए/नीति–01–11/2010–का0 2096/राँची, दिनांक 25.04.2011 के आलोक में –

क्र. सं.	कोटि	न्यूनतम सीमा	अधिकतम सीमा	दिव्यांगो के लिए अधिकतम आयु सीमा
1	सामान्य	21	35	40
2	पिछडा वर्ग एवं अत्यन्त पिछडा वर्ग		37	42
3	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)		40	45
4	महिला सामान्य वर्ग, पिछडा एवं अत्यन्त पिछडा वर्ग		38	43

3. **चयन की शर्तें** :–

I. संविदा के आधार पर स्वीकृत मानदेय के विरूद्ध उन्हें कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जायेगा।

II. उपरोक्त सभी पदों में जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर अनुमान्य होगा।

III. संविदा एक वर्ष के लिए मान्य होगी, आवश्यकतानुसार इसे एक–एक वर्ष में Annual Performance Appraisal के आधार पर बढायी जा सकती है।

IV. चयनित अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित सभी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन तीन माह के अन्दर प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले संस्थान से कराया जायेगा। प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर संबंधित कर्मियों का अनुबंध तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए उसपर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

V. संविदा के आधार पर अनुबंधित कर्मियों को एक माह की नोटिस अथवा एक माह का अग्रिम मानदेय देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

VI. जो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के लिए CGPA स्कोर–कार्ड प्रस्तुत कर रहे है, वे मार्कशीट के साथ–साथ CGPA रूपान्तरण चार्ट (Conversion Chart) भी प्रस्तुत करेंगे।

VII. नियुक्ति प्रक्रिया में संबंधित जिला सिविल सर्जन का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

VIII. समिति द्वारा आवश्यकतानुसार विज्ञापन की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है।

IX. जिला चयन समिति, गिरिडीह मेधा सूची को अन्तिम रूप से अनुमोदित करेगे।

4. **चयन की प्रक्रिया** :–

चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है –

I. अभ्यर्थी का चयन Walk-in-Interview के माध्यम से किया जाएगा।

II. अभ्यर्थी का चयन हेतु निम्न तालिकानुसार किया जाएगा।

Sl. No.	Selection Criteria	Full Points	Remarks
1	10th Board marks	25	Points will be awarded on pro rata basis. For example, a candidate securing 60% marks will be awarded 15 points for this section
2	12th Board Marks	25	Points will be awarded on pro rata basis. For example, a candidate securing 60% marks will be awarded 15 points for this section
3	Essential Qualification	25	Points will be awarded on pro rata basis. For example, a candidate securing 60% marks will be awarded 15 points for this section
4	Interview	25	Points will be awarded on pro rata basis. For example, a candidate securing 60% marks will be awarded 15 points for this section

III. सभी उम्मीदवार दिनांक 20.09.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से सिविल सर्जन कार्यालय, गिरिडीह में अपने सभी संबंधित दस्तावेज के साथ उपस्थित रहेंगे।

IV. उपरोक्त योग्यता सह अर्हता रखने वाले उम्मीदवार निर्धारित तिथि को Walk-in-Interview में निम्नांकित विहित प्रपत्र में आवश्यक अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित प्रति, आरक्षण के दावा हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्रा, जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथ से संबंधित मौट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, कम्प्यूटर दक्षता का प्रमाण पत्र (अगर अनुमान्य हो तो) तथा आवेदन पत्र के साथ स्व–अभिप्रमाणित दो पासपोर्ट साईज का फोटो संलग्न करते हुए विहित प्रपत्र में आवेदन के साथ लगा देंगे।

V. उक्त नियुक्ति में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–14/स्थानीयता निति–14–04/2018 का0–821 दिनांक 05.02.2021 से लागु स्थानीयता निति का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा एवं आवेदक को झारखण्ड राज्य के निवासी का प्राथमिकता दी जायेगी।

VI. अन्तिम रूप से तैयार की गई मेधा सूची, सिविल सर्जन/उपायुक्त के कार्यालय एवं गिरिडीह जिले के बेवसाईट– www.giridih.nic.in पर एक सप्ताह के लिए प्रकाशित की जायगी।

VII. चयनित उम्मीदवार को योगदान के समय किसी फौजदारी मुकदमें में दण्डित नही होने के आशय का शपथ पत्र तथा किसी सिविल सर्जन से निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गिरिडीह।